

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानगढ व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ज्ञानगढ पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2022-6-23 में खाता संख्या 152 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	ज्ञानगढ	$\begin{array}{r} 2611 \\ 523 \\ \hline 2199 \\ 2693 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2661 \\ 523 \\ \hline 2699 \\ 2693 \\ \hline 2693 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2661 \\ 523 \\ \hline 2699 \\ 2693 \end{array}$

मे उपरोक्त नक्शे व तहसील में जमा की डिपॉजिट भुगतान / शुद्धी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक: 21/12/22

क्रमांक:- न्यायालय / 2022/353

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

